न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कासगंज।

दिनांक–09.02.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्त अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि अभियुक्त द्वारा चालानी प्राप्त होने के उपरान्त से अभी तक चालान में अंकित धनराशि को जमा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। चालान में अंकित घटना के दिनांक से आज तक वह न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है। निकट भविष्य में प्रस्तुत मामले में उसके उपस्थित होने की कोई सम्भावना दर्शित नहीं हो रही है। अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियां, प्रकृति, चालान अवधि को दृष्टिगत रखते हुए एवं माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर लेटर सं0–52/2006 दिनांकित–15.11.2006 में दिए गये दिशा–निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए तथा उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्गत पत्रांक–335/एस0एल0एस0ए0–127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित–30 जनवरी, 2023 के कम में प्रस्तुत मामले की कार्यवाही अन्तर्गत धारा 258 दं0प्र0सं0 रोकी जाती है और अभियुक्त को उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कासगंज।

Digitally signed by Vijay Kumar III
Date: 2023.02.09 17:38:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court